रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 326] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 27, 1975/भाद्र 5, 1897

No. 326] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 27, 1975/BHADRA 5, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 1975

S.O. 450(E).—In exercise of the powers conferred by section 36 of the International Airports Authority Act, 1971 (43 of 1971), the Central Government hereby makes the following rules further the amend the International Airports Authority Rules, 1972, namely:—

1. (i) These rules may be called the International Airports Authority (Amendment) Rules, 1975.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the International Airports Authority Rules, 1972, for rule 6, the following rule shall be substituted, namely:—

"6. *Investment of funds.*—The Authority may invest its funds (including any reserve fund) in the securities of the Central Government or in fixed deposits with the State Bank of India constituted under the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955) or any subsidiary bank constituted under the State Bank of India subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959), or any corresponding new bank specified in the First Schedule to the Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970)."

[No. AV.24013/3/71-AA]

A. S. BHATNAGAR, Jt. Secy.

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1975

का० आ० 450 (अ).—अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1971 (1971 का 43) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण नियम, 1972 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) ये नियम अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 1975 कहे जा सकेंगे ।

(ii) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण नियम, 1972 में, नियम, 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम, प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"6. **निधियों का निवेश.**— प्राधिकरण अपनी निधियों (जिनमें कोई भी आरक्षित निधि भी सम्मिलित है) का निवेश केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में अथवा स्टेट बैंक आफ इंडिया अधिनियम 1955 (1955 का 23) के अंतर्गत गठित स्टेट बैंक आफ इंडिया के साथ सावधिक निक्षेपों में अथवा स्टेट बैंक आफ इंडिया (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) के अंतर्गत गठित किसी सहायक बैंक में अथवा बैंकिंग कम्पनीज (उद्यमों का अभिग्रहण तथा स्थानांतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट किसी तदनुरूपी नए बैंक में कर सकेगा ।

[सं० ए० वी० 24013/3/71–ए० ए०]

आनन्द स्वरूप भटनागर, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975